भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2670
04/08/ 2026 को उत्तर के लिए

तटीय क्षरण और जलवायु अनुकूल मछुआरा गांव

2670. श्री ससिकांत सेंथिल:
कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'जलवायु-अनुकूल तटीय मछुआरा गांव' पहल के अंतर्गत तमिलनाडु में तटीय मछुआरा गांवों की पहचान की है और यदि हां, तो तमिलनाडु में चयनित ऐसे गांवों और जिलों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त पहल के अंतर्गत तमिलनाडु के लिए आवंटित, जारी की गई तथा उपयोग की गई निधि की राशि कितनी है;

(ग) क्या तमिलनाडु में गांवों के चयन के लिए तटीय क्षरण और जलवायु संवेदनशीलता मानचित्रण का उपयोग किया गया है;

(घ) ऐसे गांवों में मछुआरों के लिए क्या आजीविका, आवास, सुरक्षा और अवसंरचनात्मक सहायता प्रस्तावित है; और

(ङ) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मत्स्य पालन में रूपांतरण, समुद्री संवर्धन तथा तटीय पायलट परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली सहायता की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ख): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तटीय समुदायों के सुदृढ़ीकरण के महत्व को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत एक परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत की है। इसके तहत तमिलनाडु सहित सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तटरेखा के निकट स्थित 100 वर्तमान तटीय मछुआरा गांवों को जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों (CRCFVs) के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य इन गांवों को आर्थिक रूप से जीवंत और जलवायु-अनुकूल मछुआरा गांवों के रूप में उन्नत करना है। PMMSY के अंतर्गत, भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण के साथ, 2 करोड़ रुपए प्रति गांव की इकाई लागत पर, CRCFVs के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। तमिलनाडु में, 32 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 16 तटीय गांवों को CRCFVs के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, और 16 करोड़ रुपए की पहली तथा दूसरी किस्तें राज्य सरकार को पहले ही जारी की जा चुकी हैं। तमिलनाडु में चिन्हित तटीय गांवों का जिला-वार विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

(ग) तमिलनाडु सहित सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में CRCFV के रूप में विकास के लिए गांवों की पहचान संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई है। CRCFV के अंतर्गत गांवों के चयन में समुद्र तट पर और तटरेखा के अत्यंत निकट (0-5 किमी, तत्पश्चात् 0-10 किमी, तत्पश्चात् 0-20 किमी) स्थित गांवों को प्राथमिकता दी गई। इसमें उन गांवों को प्राथमिकता दी गई जहाँ मछुआरों का अनुपात (100%, तत्पश्चात् 90-100%, तत्पश्चात् 80-90%), मत्स्यन नौकाओं की संख्या, फिश लैंडिंग और संबद्ध मात्स्यिकी गतिविधियां अधिक थीं। जहाँ भी उपलब्ध हो, ICAR की राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (NICRA) योजना के अंतर्गत शामिल गांवों के साथ सामंजस्य पर भी विचार किया गया।

(घ) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रत्येक गांव के लिए प्रस्तुत DPR में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित आवश्यकता-आधारित गतिविधियों को स्वीकृति प्रदान की है। इन गतिविधियों में अवसंरचना घटक शामिल हैं, जैसे बहुउद्देशीय हॉल, मत्स्य नीलामी एवं प्रसंस्करण इकाइयां, ड्राइंग यार्ड, जाल-मरम्मत शेड, भंडारण कक्ष, स्ट्रीट लाइटिंग से सज्जित RCC सड़कें, विलवणीकरण संयंत्र और विश्राम शेड। आजीविका और आर्थिक पहलों के अंतर्गत समुद्री एवं खारे पानी में केज कल्चर, बाइवाल्व एवं केकड़ा संवर्धन इकाइयां, जैव-उर्वरक उत्पादन, कृत्रिम रीफ्स, आइस बॉक्स, मत्स्यन उपकरण की दुकानें, मोबाइल फिश-फूड आउटलेट्स, हरित-ईंधन चालित नावें, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट और टोइंग उपकरण शामिल हैं, जिनका सामूहिक उद्देश्य तटीय मछुआरा समुदायों की अनुकूलन क्षमता को सुदृढ़ करना, उत्पादकता बढ़ाना और उनके कल्याण में सुधार करना है।

(ङ) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ब्लू रिवोल्यूशन और PMMSY योजनाओं के अंतर्गत संधारणीय मत्स्यन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ट्रॉलिंग से गहरे समुद्र में मत्स्यन और समुद्री संवर्धन की ओर परिवर्तन को सहायता प्रदान की है। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि, ब्लू रिवोल्यूशन योजना (2017-18) के अंतर्गत, राज्य ने "पाक खाड़ी में ट्रॉलिंग नौकाओं का गहरे समुद्र में मत्स्यन नौकाओं में विविधीकरण" योजना को क्रियान्वित किया। प्रति ट्रॉलर 80 लाख रुपए की लागत पर 750 ट्रॉलरों को गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाले जहाजों से प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 281.50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता, जिसमें 50% केंद्रीय सब्सिडी, 20% राज्य सब्सिडी, 10% लाभार्थी अंशदान और 20% संस्थागत वित्तपोषण शामिल था।

मैरीकल्चर के लिए, तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में समुद्री शैवाल संवर्धन (राफ्ट और मोनोलाइन पद्धतियां) और खुले समुद्र में केज फार्मिंग जैसी गतिविधियों हेतु PMMSY योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इन प्रयासों से 2000 से अधिक मछुआरे लाभान्वित हुए हैं और लगभग 10,000 समुद्री शैवाल राफ्ट/मोनोलाइन इकाइयों तथा 179 से अधिक खुले समुद्री केज की स्थापना को सहयोग मिला है।

अनुबंध I

तटीय क्षरण और जलवायु अनुकूल मछुआरा गांव के संबंध में माननीय संसद सदस्यों श्री ससिकांत सेंथिल और कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा पूछे गए दिनांक 04 अगस्त, 2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2670 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

PMMSY के अंतर्गत तमिलनाडु में जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों (CRCFV) के रूप में विकास हेतु चिन्हित तटीय मछुआरा गांवों की जिला-वार सूची:

राज्य का नाम	जिले का नाम	तटीय मछुआरा गाँव का नाम
तमिलनाडु	तिरुवल्लूर	पासियावरम
	तिरुवल्लूर	सेनजियाम्मन नगर
	थूथुकुडी	थारुवैकुलम
	चेंगलपट्टू	परमानकेनी
	विल्लुपुरम	मंडवाई पुधुकुप्पम
	कुड्डालोर	सी. पुथुपेट्टई
	मयिलादुथुराई	पुथुपेट्टई
	नागपट्टिनम	अर्कोट्टुदुरई
	तंजावुर	पुथुपट्टियम
	पुदुक्कोट्टई	कुमारपनवयाल
	रामनाथपुरम	सोलियाकुडी
	रामनाथपुरम	कलीमनकुंडु
	थूथुकुडी	वीरपांडियन पट्टिनम
	तिरुनेलवेली	इदिन्थाकारई
	कन्नियाकुमारी	अरोकियापुरम
	कन्नियाकुमारी	एरयुमनथुराई
